मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

e-Gov. 28

क्रमांक/ एफ 3-2/ 2013/56 **दिनांक** 26 **सितम्बर, 2015**

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, समस्त विभाग।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. विभागाध्यक्ष, समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
4. संभागायुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
5. जिला कलेक्टर, समस्त जिला, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः- मध्यप्रदेश शासन की ई-मेल नीति 2014 के अनुरूप ई-मेल आई डी निर्मित किये जाने की प्रक्रिया।

संदर्भः- मध्य प्रदेश शासन आदेश क्र. एफ 3-2/2013/ 56, दिनांक 30 मई 2014.

आप अवगत है, शासकीय कार्य व्यवहार में ई-मेल के उपयोग हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संस्था मैप आईटी राज्य ई मेल सेवाओं हेतु नोडल एजेंसी निर्दिष्ट की गयी है। नीति के प्रावधान के अनुरूप क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में NIC को सेवा स्तर अनुबंध (SLA) आधार पर आधिकारिक ई-मेल सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए समझौता ज्ञापन सम्पादित किया गया है ।

2. नीति के अनुसार शासकीय कार्य के लिए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ई-मेल आईडी नाम तथा आवश्यकता अनुरूप पदनाम के आधार पर निर्मित किए जावेंगे।

3. अनुबंध / संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के भी ई-मेल आई डी निर्मित किये जायेंगे। यह ईमेल आई डी निर्धारित अनुबंध / संविदा अवधि के लिए ही निर्मित किये जायेंगे तथा अवधि पूर्ण होने पर निष्क्रिय किये जावे।

4. पदनाम के आधार पर निर्मित ई-मेल आई-डी का स्थानांतरण/ सेवानिवृत्ति के समय पदानुवर्ती अधिकारी को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाने हेतु (दीर्घ अवकाश अवधि में भी) सभी विभागो द्वारा प्रभार हस्तांतरण प्रपत्र में पदनाम आधारित ई-मेल के हस्तांतरण का प्रावधान किया जावे।

5. नीति के प्रावधानों एवं तय प्रक्रिया अनुरूप ई मेल आई डी तैयार करने / नियमन हेतु प्रत्येक प्रशासकीय विभाग स्तर पर सक्षम प्राधिकारी तथा विभागाध्यक्ष / संगठन